उन्नति

सूचना पैक

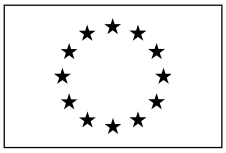

उन्नति

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा योजनाएं

सूचना पैक

प्रस्तुतिः उन्नति – विकास शिक्षण संगठन

प्रथम संस्करण : 2,000 प्रतियां, 2014

प्रकाशक : उन्नति – विकास शिक्षण संगठन

इस पुस्तिका का उपयोग, जन–शिक्षण के लिए, गैर–व्यावसायिक रूप से किया जा सकता है। उपयोग करते समय कृपया प्रकाशक का उल्लेख करें तथा हमें सूचित करें।

सूचना पैक के बारे में

इस सूचना पैक में सामाजिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, पोषण एवं प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित केन्द्र व राजस्थान सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को संकलित किया गया है, जिससे गरीब व निःसहाय ग्रामीण परिवार इनकी जानकारी लें, अपने अधिकारों को पहचानें, लाभ लें और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सभी योजनाएं व्यक्तिगत या परिवार स्तर के लाभ से सम्बन्धित हैं।

गरीबी की सीमा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को यदि 5 वर्षों तक उन सभी योजनाओं या कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिल पाता है, जिनके वो हकदार हैं, तो वे परिवार अवश्य ही गरीबी से बाहर निकल आएंगे और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी करेंगे। ज्यादातर ग्रामीण नागरिक को, पंचायतों तथा योजना के क्रियान्वयन से सीधे जुड़े कर्मचारियों को भी पूरी सूचनाएं नहीं होती हैं। जो सूचनाएं मिलती हैं, वो आसानी से समझने योग्य नहीं होतीं। फलस्वरूप लाभ के लिए अधिकृत व्यक्ति या परिवार को दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं या बिचौलियों को पकड़ना पड़ता है।

सूचना पैक आसान भाषा में महत्वपूर्ण योजनाओं की संकलित सूचना लोगों तक पहुंचाएगा। योजना का उद्देश्य, किनके लिए क्या लाभ निर्धारित है, उन्हें लेने के लिए आवेदन कैसे, किन प्रमाण–पत्रों के साथ व कहां करना है, इसकी जानकारी है। आवेदन करने के बाद कितने दिनों में आवेदक को स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों की स्पष्ट सूचना मिल जाए, इस बात की जानकारी देने की भी कोशिश की गई है। आवेदन पत्रों की प्रतियां सलंग्न नहीं की गई हैं। जानकारी के साथ यथा सम्भव सम्बन्धित नियम, सरकारी मार्गदर्शिका तथा आदेश संख्या इत्यादि का उल्लेख किया गया है, जिन्हें ज्यादा जानकारी के लिए उपयोग कर सकते हैं।

यह सूचना पैक चार भागों में विभाजित है – (1) सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (2) जन स्वास्थ्य की योजनाएं (3) प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित योजनाएं एवं (4) समस्याओं के समाधान की व्यवस्थाएं। हर भाग की शुरूआत उनका महत्व तथा उनके उचित क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर संक्षिप्त चर्चा से हुई है।

यह सूचना पैक यूरोपियन यूनियन की वित्तीय सहायता से बनाया गया है। निहित सूचनाओं के लिए उन्नति विकास शिक्षण संगठन पूर्णतया जिम्मेदार है। इसमें यूरोपियन यूनियन के मंतव्य परिलक्षित नहीं होते हैं।

उन्नति – विकास शिक्षण संगठन
राजस्थान प्रोग्राम ऑफिस

अनुक्रम

I.	सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	7
1.	वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा पेंशन	8
2.	विशेष योग्य जन पेंशन	10
3.	पालनहार योजना	11
4.	सुखद दाम्पत्य जीवन योजना	12
5.	आस्था योजना	12
6.	विकलांग व्यक्ति को सहायक उपकरण हेतु एडीप योजना	13
7.	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना	14
8.	निराश्रित सम्बल योजना	14
9.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	14
10.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	16
11.	अन्त्योदय अन्न योजना	16
12.	इन्दिरा आवास योजना	17
13.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	19
14.	कन्या के विवाह हेतु सहयोग योजना	19
II.	**जन स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएं**	20
15.	समेकित बाल विकास सेवाएं	21
16.	सबला योजना	23
17.	सक्षम योजना	24
18.	जननी सुरक्षा योजना	25
19.	जननी स्वास्थ्य प्रोत्साहन देशी घी योजना	26
20.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	26
21.	कलेवा योजना	27
22.	इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	27
23.	मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना	27
24.	राष्ट्रीय टीकाकरण शिड्यूल	28
25.	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	28
26.	मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना	29
27.	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	29
28.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	29
III.	**प्राथमिक शिक्षा की योजनाएं**	30
29.	सर्व शिक्षा अभियान	31
30.	मध्याह्न भोजन योजना	33
31.	छात्रावास योजना	33
32.	छात्रवृत्ति	33
33.	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	33
34.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	34
35.	आपकी बेटी योजना	34
IV.	**समस्याओं के समाधान की व्यवस्थाएं**	35

I. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

ज्यादातर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी ग्रामीणों और पंचायती राज संस्थाओं को भी नहीं होती है। कई योजनाओं में आवेदन, स्वीकृति और लाभ मिलने की प्रक्रियाएं जटिल और लम्बी होती हैं। ग्रामीण या तो आवेदन करने से कतराते हैं या बिचौलियों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में योग्य व्यक्ति/परिवार छूट जाते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एक परिवार को लगभग रू. 1,000 प्रति माह की सहायता मिल जाती है। जब अन्य किसी प्रकार की काम की सम्भवाना नहीं रहती है, तब गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम से रोजगार मिल जाता है। वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग के लिए पेंशन उनकी छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है। ये सभी कार्यक्रम साथ मिलकर परिवार के अर्थतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होते हैं।

पंचायतें सामुदायिक सामाजिक प्रयासों को दिशा देकर लोगों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। कई योजनाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों (बीपीएल) की अधिकृत सूची के लिए होती हैं। यदि पंचायत प्रतिनिधि अपने–अपने वार्ड के लिए इस सूची में होने लायक परिवारों को चिन्हित करें, ग्राम सभा में अधिकृत सूची की समीक्षा करें, तो गैर वाजिब परिवारों को निकाला जा सकता है और कोई भी वाजिब परिवार छूटे नहीं इसकी सुनिश्चितता की जा सकती है। विकलांग व्यक्ति बीपीएल कार्ड के लिए व्यक्तिगत एकम के रूप में दर्ज हो सकते हैं। हमारे वर्तमान सामाजिक ढ़ांचे में विधवाएं, एकल महिलाएं और उनके मुद्दे अदृश्य रहते हैं। बीपीएल सूची एवं मनरेगा में पंजीकरण के लिए इन्हें एकम गिनें।

ग्राम पंचायत को पेंशन तथा अन्य कई लाभों में जरूरी दस्तावेज देने होते हैं या आवेदन को प्रमाणित करना होता है। इसके लिए सुचारू, पारदर्शक व प्रमाणिक व्यवस्था ग्राम पंचायतों का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सरकार की आवास योजनाएं बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले गरीब के लिए हैं। इस सन्दर्भ में प्रतीक्षा सूची का उचित क्रियान्वयन, समय से लाभ की किश्तें मिलें, लाभार्थियों को कुशल कारीगर उपलब्ध हों, घर में निर्धूम चूल्हे व शौचालय अवश्य बनें इसकी निगरानी तथा प्रोत्साहन आदि पंचायतों के महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं।

माननीय चीफ जस्टिस पी साथशिवम की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को ढूंढा जाए जिनकी वर्ष 1993 से आज तक मैनहोल या सेप्टिक टैंक में मौत हुई है और उन्हें रूपये 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। हाथ से मैला उठाने वालों के उचित पुनर्स्थापन के लिए कार्यवाही जरूरी बताई गई है। बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतरवाना गुनाह समझा जाए और मरने वाले के परिवार को रूपये 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। महिला सफाई कर्मचारी को उसकी इच्छा की रोजगार योजना का लाभ लेने में सहायता मिले।

1. वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा पेंशन

निम्नांकित जानकारी का मुख्य आधार 'राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्क्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013' है।

1. 55 से 74 आयु वर्ग की महिला को तथा 58 से 74 आयु वर्ग के पुरूष को रू. 500 प्रति माह पेंशन है। 75 या उससे अधिक आयु वाले महिला या पुरूष को रू. 750 प्रति माह पेंशन मिलती है। ये व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल) चयनित, अन्त्योदय परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के या आस्था कार्ड धारी परिवार हों या ऐसे व्यक्ति, जिनके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं का नियमित आय का स्रोत नहीं है या जिनकी वार्षिक आय रू. 48,000 से कम है।

2. 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला केन्द्रीय या राज्य बीपीएल, अन्त्योदय परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति की, आस्था कार्ड धारी परिवार से हो सकती है। राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत एच. आई. वी एड्स पीड़ित या ऐसी महिला, जिनके स्वयं की नियमित आय का स्रोत न हो, भी पेंशन की हकदार हैं। परित्यक्ता वह महिला मानी जाती है, जिसके पास विवाह–विच्छेद डिक्री हो, न्यायालय का आदेश हो या इससे सम्बन्धित मामला न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हो। मुसलमान महिला के लिए काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा मान्य है।

3. आवेदन जमा करवाने के बाद 30 दिन में जांच अधिकारी (तहसीलदार/उप तहसीलदार) द्वारा सत्यापन होगा। अगले 15 दिनों में पेंशन स्वीकृतिकर्मी प्राधिकारी (विकास अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी) द्वारा स्वीकृति होगी या आवेदक को कारण सहित लिखित में आवेदन अस्वीकृत करने की सूचना दी जाएगी।

4. आवेदन अस्वीकृत किए जाने की सूचना कारण के साथ स्वीकृतिकर्मी प्राधिकारी के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित होनी चाहिए (नियम संशोधन आदेश एफ 09–05–12–1 सान्यअवि/2013–14/9578 अध्याय 4, नियम 5 उप नियम 7)

5. 1 मई 2013 के बाद स्वीकृत हुए पेंशन के सन्दर्भ में स्वीकृति वाले महिने की भी पेंशन देय होगी (संशोधन अध्याय 6, नियम 16 उप नियम 3) पेंशन स्वीकृत होने के बाद 4 दिन में आवेदक को राशि भेज दी जानी चाहिए और हर महिने के पहले सप्ताह में वह नियमित भेजी जानी चाहिए (संशोधन अध्याय 6, नियम 16 उप नियम 5)

6. पेंशन अस्वीकार हो तो 2 महिने में तथा शिकायत होने पर आवेदक या पेंशन धारक जिला कलक्टर से अपील कर सकते हैं।

7. पेंशन धारक तब तक पेंशन का हकदार है, जब तक वह जीवित है और राज्य का प्रवासी है, उसका परिवार बीपीएल सूचीबद्ध है या जीवन निर्वाह हेतु उसकी स्वयं की आय नहीं होती है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा पुनर्विवाह नहीं करने तक पेंशन की हकदार हैं।

प्रत्येक महिने में पेंशन की पूरी राशि लेना, हर पेंशन धारक का अधिकार है। किसी प्रकार के कमीशन की राशि नहीं काटी जाती है। निरक्षर पेंशनर से मनीऑर्डर की रसीद पर अंगूठे का निशान साक्षर साक्षी की उपस्थिति में ही लगवाना है। प्रत्येक वर्ष मार्च महिने में पेंशन धारकों को ग्राम सचिवालय द्वारा भौतिक सत्यापन करके सूची विकास अधिकारी को भिजवाने की जिम्मेदारी पटवारी और सरपंच की है।

आवेदन सम्बन्धित प्रक्रियाएं

1. आवेदक मुद्रित निःशुल्क आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर आवश्यक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित सम्बन्धित तहसीलदार, नायाब तहसीलदार या विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। मुद्रित आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं हो तो फोटो प्रति या सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र में 3 फोटो चिपकाने हैं।

2. उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण–पत्र, विद्यालय का प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान पत्र या ऐसा कोई भी दस्तावेज हो सकता है, जिसमें आयु या जन्म की तारीख लिखी हो। पते के सत्यापन के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड में से किसी एक की फोटो प्रतिलिपि लगाई जा सकती है।

3. जो बीपीएल, अन्त्योदय लाभार्थी, आस्था कार्ड धारक या चिन्हित जातियों से नहीं हैं, उन्हें यह प्रमाण देना होगा कि उनकी नियमित आय नहीं है या पारिवारिक वार्षिक आय रू. 48,000 से कम है। इसके लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र की जरूरत होगी, जिसमें पटवारी से लिया गया जमीन का ब्यौरा भी शामिल होगा।

4. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, न्यायालय के आदेश या केस चल रहा हो तो कागजातों की प्रति लगानी होगी।

5. आवेदन पत्र जमा करवाने की रसीद लेना महत्वपूर्ण है।

2. विशेष योग्य जन पेंशन

निम्नांकित जानकारी का मुख्य आधार 'राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्य जन पेंशन नियम, 2013' है।

8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्य जन को रू. 250 प्रति माह पेंशन है। 8 से 74 आयु वर्ग के विशेष योग्य जन को रू. 500 प्रति माह तथा 75 या उससे अधिक आयु वाले विशेष योग्य जन को रू. 750 प्रति माह पेंशन की व्यवस्था है। अतः किसी भी आयु के व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग युक्त, कम श्रवण शक्ति, मानसिक रोग में से किसी भी एक या अधिक (40 प्रतिशत से अधिक) विकलांगता ग्रसित हैं, वे पेंशन के हकदार हैं। वे राजस्थान में रह रहे बीपीएल चयनित, अन्त्योदय परिवार, सहरिया, कथौड़ी, खैरवा जाति के या आस्था कार्ड धारी परिवार से हों या ऐसे व्यक्ति, जिनके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं का नियमित आय का स्रोत नहीं है या जिनकी वार्षिक आय रू. 48,000 से कम है। सत्यापन तथा अन्य प्रक्रियाएं अन्य पेंशन की तरह हैं।

आवेदन सम्बन्धित प्रक्रियाएं

1. आवेदक मुद्रित निःशुल्क आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर आवश्यक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित सम्बन्धित तहसीलदार, नायाब तहसीलदार या विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र में 3 फोटो चिपकाने हैं।

2. उम्र, पते, आय के स्रोत के प्रमाण के साथ विकलांग (40 प्रतिशत से अधिक) प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। आवेदन पत्र जमा करवाने की रसीद लेना महत्वपूर्ण है।

विकलांगता प्रमाण–पत्र

योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह एक अनिवार्य दस्तावेज है। केन्द्र सरकार ने दिसम्बर 2009 में विकलांग व्यक्ति (बराबर अवसर, अधिकारों का रक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) नियम में संशोधन किया तथा प्रमाण–पत्र देने की जिम्मेदारी राज्य द्वारा घोषित मेडिकल ऑथोरिटी को दी।

- यथा सम्भव आवेदन के बाद सात दिन में प्रमाण–पत्र मिल जाना चाहिए।
- स्पष्ट या प्रत्यक्ष विकलांगता के प्रमाण–पत्र प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिए जा सकेंगे। अप्रत्यक्ष किसी एक प्रकार की विकलांगता के लिए एक ही विशेषज्ञ प्रमाण–पत्र जारी कर सकेंगे। अनेक विकलांगताओं वाले व्यक्ति के सन्दर्भ में ही मल्टी–सदस्य बोर्ड के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता रहेगी।
- यदि सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ या जांच की योग्य सुविधा नहीं है तो गैर सरकारी संगठनों के पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

3. पालनहार योजना

पारिवारिक माहौल में पालन–पोषण हर बच्चे का अधिकार है। यह योजना अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षण आदि की व्यवस्था निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद करती है।

1. 5 वर्ष तक की उम्र के अनाथ बच्चों के लिए रू. 500 प्रति माह पालनहार परिवार को अनुदान मिलता है। 6 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए रू. 750 प्रति माह की राशि है। कपड़े, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए हर साल रू. 2,000 (विधवा, नाता को छोड़कर) प्रति अनाथ अनुदान उपलब्ध होता है।

2. अनाथ वे बच्चे माने जा रहे हैं जिनके माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिनके माता या पिता को न्यायिक आदेश से आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा मिली हो, पेंशन की पात्र विधवा माता एवं नाता वाली माताओं की अधिकतम तीन संतानें, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, कुष्ठरोग, एड्स पीडित, विकलांग माता या पिता की संतान तथा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान। जिनके विवाह विच्छेद का मामला 5 वर्ष से न्यायालय में लम्बित हो या ऐसी माताएं जो 3 वर्ष से पति से अलग रह रही हैं, वे भी हकदार हैं।

3. पालनहार की वार्षिक आय रू. 1,20,000 से अधिक ना हो। बालक या बालिका को 2 साल की उम्र में आंगनवाड़ी और 6 साल की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य है। सहायता राशि द्वैमासिक आधार पर मिलनी है।

आवेदन सम्बन्धित प्रक्रियाएं

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरना है। आवेदन प्रपत्र में बच्चों और संरक्षक की जानकारी देनी है। राशन कार्ड, स्कूल में पढ़ने या आंगनवाड़ी से जुड़ाव के प्रमाण–पत्र, बीपीएल नहीं होने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक से हस्ताक्षरित आय का प्रमाण पत्र, विशेष योग्य जन होने पर उनका 40 प्रतिशत का प्रमाणपत्र, बच्चों के माता पिता के मरने, सजा होने, नाता करने, बिमारी आदि का प्रमाण पत्र, बच्चों की फोटो एवं पालनहार का एकाउन्ट पास बुक की फोटो प्रति लगानी है। परित्यक्ता का प्रमाण–पत्र सरपंच, ग्राम सचिव एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी जारी करते हैं। परित्यक्ता महिला को यह शपथ–पत्र देना होता है कि वह पिछले 3 वर्ष से अपने पति से अलग रह रही है एवं पति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

2. आवदेन ग्राम पंचायत में या सीधे विकास अधिकारी को जमा करवा सकते हैं। स्वीकृति अधिकारी भी सम्बन्धित विकास अधिकारी हैं।

4. सुखद दाम्पत्य जीवन योजना

विवाह पर विकलांग दम्पति को रू. 25,000 मिलते हैं। विवाह के समय महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा पुरूष की कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा दम्पति की वार्षिक आय रू. 50,000 से कम होनी चाहिए। महिला, पुरूष या दोनों विकलांग हो सकते हैं।

आवेदक निःशुल्क मुद्रित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर आवश्यक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र में दम्पति का एक फोटो चिपकाना हैं। शादी का कार्ड लगाना है। उम्र, पता, आय का प्रमाण आवेदन के साथ जोड़ना है।

5. आस्था योजना

जिन परिवारों में दो या दो से अधिक सदस्य 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले हैं और पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू. 1,20,000 है, उन्हें बीपीएल को देय सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे निःशुल्क चिकित्सा योजना, इन्दिरा आवास योजना, राशन सामग्री इत्यादि।

आवेदक निःशुल्क मुद्रित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर आवश्यक प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र में विकलांग सदस्यों और परिवार के अन्य सभी सदस्यों की जानकारी भरनी है। आवेदन पत्र में ही पारिवारिक वार्षिक आय का विवरण शामिल है, जो परिवार के मुखिया से हस्ताक्षरित होगा। अतः अलग से आय प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है। विकलांग व्यक्तियों की फुल साइज की फोटो, फार्म के साथ लगानी है। विकलांग (40 प्रतिशत से अधिक) प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति लगानी है। पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि हेतु राशन कार्ड, जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड (आर. बी. एस. वाई.) में से किसी एक की फोटो प्रति लगा सकते हैं।

6. विकलांग व्यक्ति को सहायक उपकरण हेतु एडीप योजना

विकलांग व्यक्ति को टिकाऊ, गुणवत्तायुक्त, उपयोगी सहायक उपकरण से शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापन में मदद मिले, विकलांगता का प्रभाव कम हो सके और उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े, यह इस योजना का उद्देश्य है।

1. यदि व्यक्ति रोजगार से जुड़ा हुआ है या पेंशन ले रहा है, तो सभी स्रोतों से उसकी मासिक आय रू. 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि वह आश्रित है तो उसके माता–पिता या संरक्षक की मासिक आय रू. 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने पिछले तीन सालों में सरकार, स्थानीय सरकारी या गैर सरकारी संस्था से उपकरण नहीं लिए हों। 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों ने उपकरण सहायता पिछले एक वर्ष में नहीं ली होनी चाहिए।

2. एक उपकरण पर अधिकतम रू. 6,000 खर्च हो सकता है। 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई की अवधि में नेत्र, मानसिक, बोल–श्रवण या एक से ज्यादा विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति के लिए एक उपकरण पर अधिकतम रू. 8,000 खर्च हो सकते हैं।

3. यदि विकलांग व्यक्ति या वह जिस पर आश्रित है, उसकी मासिक आय रू. 6,500 तक है, तो उपकरण का पूरा दाम मिलेगा। यदि मासिक आय रू. 6,501 से 10,000 के बीच है तो उपकरण का 50 प्रतिशत दाम मिलेगा।

4. उपकरण प्रदान करने वाले केन्द्र तक परिवहन के लिए अधिकतम रू. 250 मंजूर किए जा सकते हैं चाहे जितनी भी बार यात्रा करनी पड़ी हो। ऐसे व्यक्ति जिनकी आय रू. 6,500 प्रति माह से कम है, उनके लिए 15 दिनों तक का रू. 30 प्रति दिवस की दर से रहने व खाने का भत्ता मंजूर किया जा सकेगा।

यह योजना सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अमल की जाती है और वे ही जरूरतमंद, विकलांग व्यक्ति की पहचान व प्रक्रियाएं करते हैं। आय का प्रमाण व डॉक्टर के सर्टीफिकेट की जरूरत होती है जिससे स्पष्ट हो कि उपकरण व्यक्ति के लिए योग्य है।

7. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

बीपीएल परिवारों के 59 वर्ष तक की उम्र के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति को बीमित किया गया है। यदि सामान्य कारणों से इस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो रू. 30,000 और दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 75,000 परिवार को मिलते हैं। यदि दुर्घटना में पूर्ण अपंगता हो जाती है तो रू. 75,000 और शरीर का एक अंग असक्षम होता है तो रू. 37,500 परिवार को मिलते हैं। कक्षा 9 से 12 में पढ़ रही दो संतानों को रू. 100 प्रतिमाह की दर से तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है।

8. निराश्रित सम्बल योजना

जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, ऐसे निराश्रित व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलती रहे और उसे भोजन तथा आवास की असुविधा न हो, यह इस योजना का ध्येय है। योग्य व्यक्ति के लिए एक बार रू. 2,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आवेदक को जिले का निवासी होना चाहिए। सादे कागज पर जिला कलेक्टर को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन करना है। योजना क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

यहाँ वर्ष 2013 की मार्गदर्शिका के मुख्य प्रावधान शामिल हैं।

1. कोई भी ग्रामवासी काम की मांग कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार के वयस्क व्यक्ति जो स्वेच्छा से शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, वे इस रोजगार योजना के पात्र हैं। ऐसे व्यक्ति ग्राम पंचायत में पंजीकरण करवाकर रोजगार पत्रक (जॉब कार्ड) हासिल कर सकते हैं।

2. पंजीकृत परिवारों को 100 दिनों का रोजगार की मांग करने एवं मजदूरी हासिल करने की गारण्टी है। राजस्थान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर रूपये 163 (अप्रैल 1, 2014 से) है। आवेदनकर्ता को 15 दिनों में आवश्यकतानुसार रोजगार मिलता है। 15 दिनों में काम नहीं मिले, तो नकद दैनिक बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। भत्ते की दर प्रथम 30 दिनों तक दैनिक मजदूरी की एक चौथाई राशि तथा शेष दिनों में दैनिक मजदूरी की आधी राशि होगी। गाँव से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार मिलने की दशा में 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी मिलेगी। प्रति सप्ताह मजदूरी मिलेगी। किसी भी कारणवश एक पखवाड़े (15 दिन) से अधिक की देरी नहीं होगी।

नवम्बर 22, 2010 को जारी आदेश क्रमांक एफ 1(14) ग्रावि/नरेगा/वेजेज/2010/पार्ट 3 के अनुसार यदि मजदूरी का भुगतान 15 दिन के अन्दर नहीं होता है तो 16वें दिन से श्रम आयुक्त कार्यालय में मुआवजे का दावा कर सकते हैं। दावा डाक से भी पेश कर सकते हैं। दावे के साथ प्रमाण के रूप में मस्टर रोल की प्रति जोड़नी होती है। प्रति श्रमिक एक सप्ताह का एक दावा गिना जाता है और सुनवाई के उपरान्त रूपये 1500 से 3000 के बीच का मुआवजा तय हो सकता है।

3. मजदूरी की दर में महिला एवं पुरूष श्रमिक में कोई असमानता नहीं होगी। कार्यस्थल पर 6 वर्ष तक की उम्र के 5 से अधिक बच्चे होने पर बच्चों की देखरेख हेतु एक श्रमिक की नियुक्ति होगी।

4. कार्यस्थल पर चोट आने पर श्रमिक निःशुल्क चिकित्सा के हकदार हैं। घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो सरकार दवाईयां और दैनिक भत्ते का इन्तजाम करेगी। भत्ते की रकम दैनिक मजदूरी की आधी राशि होगी। मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर रूपये 25,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी। काम के दौरान स्वच्छ पेयजल, छायादार शेड, प्राथमिक चिकित्सा के बक्से का प्रावधान है।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीपीएल की निजी जमीन में भूमि विकास का काम हो सकता है। किसी भी कार्य में ठेकेदार नियुक्त नहीं किए जाएंगे। सभी कार्य शारीरिक श्रम से होंगे।

6. कार्यों का आयोजन मुख्यतः ग्राम सभा में होता है। ग्राम सभा में सुझाए गए कार्य अस्वीकृत नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी ऊपरी स्तर, निचले स्तर पर आयोजन में डाले गए कामों को नामंजूर नहीं कर सकते हैं।

7. 9 सदस्यीय गांव स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाएगी, जिसमें कम से कम आधे सदस्य वे होंगे, जो सम्बन्धित कार्य स्थल पर रोजगार कर रहे हैं। वर्ष में दो बार, पिछले छः महिने में योजना में हुए कामों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं में होना है। गाँव स्तरीय निगरानी समिति को सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रामाणिक दस्तावेज, मस्टर रोल, बिल वाउचर, माप पुस्तिका तथा स्वीकृत आदेश की प्रतिलिपियां ग्राम पंचायत उपलब्ध करवाएगी।

8. कार्य स्थल पर बोर्ड में श्रमिक संख्या, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि आदि सूचनाएं आवश्यक रूप से लिखी होंगी। हर वर्ष श्रमिकों के बारे में सूचनाओं (श्रमिकों की सूची, श्रमिक दिवसों, मजदूरी का भुगतान, अन्य लाभ सहित) का दीवार लेखन सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा।

9. कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में शिकायत की जा सकती है। शिकायतों का निवारण अधिकतम 7 दिन में और मांगी गई सूचना 7 दिन में मिलनी चाहिए।

10. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

इस व्यवस्था का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को उचित कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्राथमिकता से चयनित परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम दाम पर खाद्यान्न पाने का अधिकार देता है। जीवन चक्र पर्यन्त लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा की बात की गई हैं जिससे लोगों को सहनीय दाम पर उचित मात्रा में गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध हो। चयनित प्राथमिकता वाले परिवारों की सूची सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित रहनी है। राशन कार्ड जारी करने में परिवार की सबसे बड़ी उम्र की वयस्क महिला को मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार में ऐसी कोई महिला नहीं है, तो सबसे बुजुर्ग पुरूष परिवार के मुखिया होंगे।

1. बीपीएल परिवारों को रू. 1 की दर से 25 किलो गेहूं प्रतिमाह वितरित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों को रू. 2 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ प्रति माह वितरित किया जाता है। अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 500 ग्राम चीनी रूपये 13 प्रति किलो की दर से निर्धारित है। बिना गैस कनेक्शन वाले परिवारों को प्रति माह 3 लीटर केरोसीन रूपये 17.25 प्रति लीटर की दर से तथा एक गैस सिलेण्डर वाले परिवारों को प्रति माह 2 लीटर केरोसीन मिलता है।

2. राशन की दुकान हर माह की 24 से 31 तारीख को सवेरे 9 से शाम 5 बजे तक आवश्यक रूप से खुली रखनी होगी। दुकान के बाहर सूचना का बोर्ड भी लगाना होगा, जिसमें राशन की दरों के अलावा स्टॉक के बारे में जानकारी देनी होगी।

3. शिकायत दर्ज करने पर अधिकतम 60 दिनों में निवारण होगा।

11. अन्त्योदय अन्न योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यधिक गरीब परिवारों पर केन्द्रित करने के लिए दिसम्बर 2000 से अन्त्योदय अन्न योजना की शुरूआत हुई। भूमिहीन खेत मजदूर, सीमान्त किसान, ग्रामीण कुम्हार, बुनकर, लुहार, सुथार, चमड़े का काम करने वाले, शहरी झुग्गी विस्तार में रहने वाले व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवा, लम्बी बीमारी से ग्रसित, विकलांग या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हों, जिनकी जीविका का कोई नियमित श्रोत न हो, सभी आदिम जनजाति परिवार, तथा एच. आई. वी. पोजिटिव व्यक्ति वाले बीपीएल परिवार को 35 किलो गेहूँ रूपये 1 प्रति किलो की दर से हर माह उपलब्ध है।

12. इन्दिरा आवास योजना

बेघर अथवा उचित आवासीय व्यवस्था न होने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुरक्षित तथा टिकाऊ आवास जो पर्यावरण के अनुरूप हों और जिन्हें समय के साथ बढ़ाया और सुधारा जा सके, बनाने के लिए मदद की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी मुख्यतः योजना की जून 2013 की मार्गदर्शिका से ली गई है।

1. बीपीएल या आस्था कार्ड धारी परिवार को, जिन्हें आवासहीन '0' एवं कच्चा आवास '1' कोड में शामिल किया है, मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इन्दिरा आवास योजना के निम्न घटक हैं :

- नया मकान बनाने के लिए रू. 70,000 की सहायता है। नए मकान का न्यूनतम बिल्ट–अप क्षेत्रफल (शौचालय के अलावा) 20 घन मीटर होगा। मकान की छत टिकाऊ पदार्थ की बननी चाहिए जिससे वह कम से कम 30 वर्षों तक टिके। मटेरियल व टेकनोलोजी का अन्तिम चयन लाभार्थी का अधिकार है। हर घर में शौचालय, सोक पिट, कॉम्पोस्ट पिट और गैस कनेक्शन न हो तो निर्धूम चूल्हे की व्यवस्था जरूरी है। छत से पानी संग्रहण की व्यवस्था भी करनी है।

- कच्चा या जर्जर मकान के सुधार के लिए रू. 15,000 की सहायता है। कच्चा मकान वह है, जिसकी दीवार और/या छत बिना तपी ईटों की, बांस की, मिट्टी की, घास की, छपरे की या ढ़ीले तरीके से लगाए पत्थर इत्यादि की हो। यदि पक्के मकान को किसी भी कारण से ऐसी हानि पहुंची है कि वह रहने योग्य नहीं है तो वह जर्जर गिना जाता है।

- भूमिहीन को मकान बनाने के लिए सार्वजनिक जमीन में से 20 सेन्ट (967 वर्ग गज) जमीन आवंटन जिला कलक्टर की जिम्मेदारी है। 2 सेन्ट (96.7 वर्ग गज) से कम भूमि वाले भूमिहीन माने जाते हैं।

2. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अत्याचार पीड़ित या ऐसी महिला जिसका पति 3 वर्षो से लापता है तथा महिला मुखिया वाले परिवारों की प्राथमिकता है। 40 प्रतिशत से ज्यादा शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति, ट्रांसजेण्डर व्यक्ति या सेना/पुलिस में मरने वाले की विधवा या परिजन (बीपीएल ना हो तब भी) की भी प्राथमिकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता देनी ही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को राष्ट्रीयकृत बैंक रू. 20,000 का ऋण उपलब्ध करवाते हैं। पांच वर्ष की प्राथमिकता सूची, वार्षिक चयन के साथ दिवार लेखन के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए। चयन के आधार, परिवार को कितनी राशि मिलनी है, कितनी राशि मिली तथा मकान पूरा होने की तारीख भी प्रदर्शित होनी है।

3. यथा सम्भव घर की महिला मकान की मालिक होगी। पति–पत्नी का संयुक्त नाम भी हो सकता है। जमीन का आवंटन घर की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम से होना है।

4. मकान लाभार्थी खुद बनाते हैं। ठेकेदार का उपयोग वर्जित है।

अन्य प्रक्रियाएं

1. वर्ष 2013–14 में पुरानी प्रतीक्षा सूची काम में ली गई है। सामाजिक, आर्थिक, जाति सेन्सस 2011 के अनुसार यह सूची बदलेगी। 5 वर्ष के लिए बन रही इन्दिरा आवास योजना की लाभार्थी और भूमिहीन परिवारों की सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन जरूरी है। इन ग्राम सभाओं में जिला कलक्टर के प्रतिनिधि होंगे तथा उनकी विडियोग्राफी की जाएगी। वार्षिक सूची का अनुमोदन भी इसी प्रक्रिया से ग्राम सभा में होना है।

2. इन्दिरा आवास लाभार्थियों की साझी बैठक में पूरी प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी इत्यादि की जानकारी दी जाती है, अनुमोदन आज्ञा पत्र जारी होता है, अधिकार कार्ड वितरित होता है एवं पहली किश्त (50 प्रतिशत) के आज्ञा पत्र भी जारी होने हैं। किश्त लाभार्थी के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में डाली जाती है। भुगतान ग्राम सभा में बताना है और किश्त की रकम को ग्राम सभा में जोर से पढ़ना है।

3. दूसरी किश्त (40 प्रतिशत) लिण्टल लेवल तक पहुंचने पर व तीसरी किश्त (10 प्रतिशत) शौचालय बनने तथा लाभार्थी के मकान में रहना शुरू करने के बाद दी जाती है। जमीन की फिनीशिंग, खिड़की दरवाजे के शटर या पेण्ट नहीं होने की स्थिति में किश्त रोकी नहीं जा सकती।

4. पहली किश्त रीलिज होने के 9 महिने में लिण्टल लेवल तक निर्माण कार्य हो तथा दूसरी किश्त रिलीज होने के 9 महिने में मकान पूरा बन जाए। मकान पूरा होने में 2 वर्ष से ज्यादा समय नहीं लगे। अत्यधिक गरीब परिवारों को 3 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

5. आवेदन के साथ जहां मकान बना रहे हैं वो जमीन आबादी क्षैत्र में या स्वयं के मल्लकियत में आती है, से सम्बन्धित कागजातों की फोटो प्रति, बैंक या पोस्ट ऑफिस पास बुक की फोटो प्रति, यदि प्रार्थी विकलांग है तो विकलांग प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति लगानी है। पूर्व में किसी प्रकार का आवास योजना का लाभ नही लिया है तथा पक्का मकान नही है, इसकी स्वघोषणा के अलावा ग्राम पंचायत से सत्यापन करवाना है। आवेदन जमा करवाने पर प्राप्ति रसीद अवश्य लेनी चाहिए। रसीद का प्रारूप आवेदन में ही शामिल है।

13. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

राजीव गांधी विद्युतीकरण येाजना का मुख्य उद्देश्य सुदूर गांव ढाणियों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाना है।

आवेदन पत्र के साथ बीपीएल कार्ड (सरपंच से प्रमाणित करवाएं), जमीन का मालिकाना हक या पट्टा तथा राशनकार्ड की प्रतियाँ लगानी हैं। सरपंच के माध्यम से चौपाल या संबंधित बिजली विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करवाए जा सकते हैं।

14. कन्या के विवाह हेतु सहयोग योजना

बीपीएल परिवारों की 18 या अधिक वर्ष की दो कन्या तक के विवाह पर रूपए 10,000 की सहायता का प्रावधान है। 24 जून 2013 को जारी आदेश के अनुसार अन्त्योदय एवं राज्य बीपीएल परिवार की कन्या के विवाह पर भी अनुदान राशि दी जाएगी।

यदि कन्या ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो रूपये 5,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे (कुल रूपए 15,000)। यदि कन्या ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो रूपये 10,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे (कुल रूपये 20,000)।

आवेदन के साथ बीपीएल कार्ड तथा राशन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम (बैंक पासबुक की फोटो प्रति) संलग्न करें। विवाह योग्य पुत्री/पुत्रियों का विवरण (विधायक, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पार्षद अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र) जो सहायता राशि की अनुशंसा करे, तथा रूपये 10 के स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित अभिभावक का शपथपत्र। वर का नाम, उनके पिता का नाम, वर की आयु, जन्म तिथि, शिक्षा, व्यवसाय एवं पूरे पते का विवरण देना आवश्यक है।

II. जन स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएं

सामान्यतः गरीब, बड़ी बीमारी या जटिल प्रसव में होने वाले स्वास्थ्य सम्भाल के खर्च का बोझ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वे महंगी प्राइवेट व्यवस्था पर निर्भर होते हैं। आम जन यही सोचता है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भरोसेमन्द नहीं होतीं या उन्हें प्राप्त करना असम्भव है।

जब भी कोई बड़ी स्वास्थ्य सम्बन्धित विपदा आती है, गरीब परिवार कर्ज के बोझ में दबते हैं, जमीन, मकान या सम्पत्ति बेचते हैं या बूढ़े मां–बाप और बच्चों को अकेला छोड़ कर पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। सूचना और जागृति का अभाव व वर्षों से अलगाव के तजुर्बे के कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों का विश्वास खोता जा रहा है। वे अकुशल वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्था का सहारा लेते हैं, जिससे स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ जाता है। यहां तक कि कई बार विकलांगता या मौत भी हो जाती है।

अतः सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, खासकर टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, बीमा इत्यादि को सुनिश्चित करना और गरीब तथा सभी नागरिकों का इन सेवाओं पर विश्वास बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता है। इससे कई गरीब परिवार आर्थिक तंगी से बचेंगे और आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से सक्रिय और सशक्त बनेंगे।

लोगों की जरूरतों के हिसाब से सहभागी पद्धति द्वारा स्वास्थ्य का आयोजन बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, कर्मचारियों व मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस की नियमितता की निगरानी रख सकते हैं। उप–स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बनी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति स्वास्थ्य फंड के योग्य संचालन के लिए आयोजन एवं निगरानी की भूमिका निभा सकती है। खासकर महिला, बच्चे, किशोरियों के स्वास्थ्य के अधिकार की अवमानना न हो, इसलिए समिति तथा ग्राम पंचायत असंख्य प्रयास कर सकते हैं।

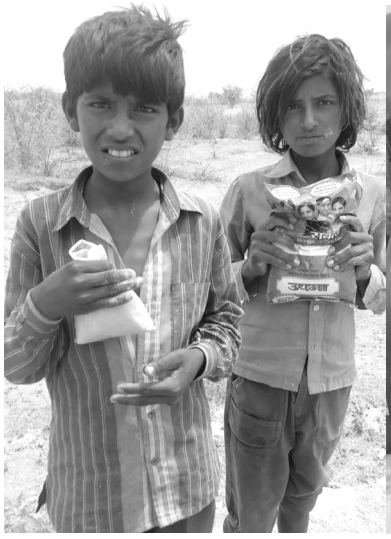

15. समेकित बाल विकास सेवाएं

समेकित बाल विकास सेवाओं का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना, 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण को रोकना तथा महिलाओं खासकर, किशोरियों और गर्भवती के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है। बच्चों के उचित मनौवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, बाल–मृत्यु, मातृ–मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण, एनीमिया तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।

समेकित बाल विकास सेवाएं बाल्यावस्था विकास के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं – 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं के लिए पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाओं को समाहित करती है। अन्तिम 3 सेवाएं स्वास्थ्य केन्द्रों से प्रदान होती हैं। इसके अतिरिक्त 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 15–45 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा सम्मिलित हैं। सेवाएं आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्मी तथा सहयोगिनी होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्मी समुदाय से होती हैं और सामाजिक बदलाव की प्रेरक हैं। टीकाकरण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्यकर्मी को ए. एन. एम. और आशा का सहयोग करना है। आंगनवाडी निगरानी के लिए पंचायत समिति स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, जो जिला परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

150 से 400 की जनसंख्या पर 1 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खुल सकता है। 400 से 800 की जनसंख्या पर 1 आंगनवाड़ी केन्द्र खुल सकता है। 800 के गुणात्मक में केन्द्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। आदिवासी, रेगिस्तानी, पहाड़ी, तथा अन्य मुश्किल क्षेत्रों में 150 से 300 की जनसंख्या पर 1 तथा 300 से 800 की आबादी पर 2 आंगनवाड़ी केन्द्र खुल सकते हैं।

1. पूरक पोषण (भारत सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2012 को जारी पत्र के अनुसार)

- 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बच्चों को घर ले जाने वाले राशन के रूप में 125 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन – (17 दिन हलवा व 8 दिन पंजीरी) उपलब्ध हो। अति कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम के टेक होम राशन प्रतिदिन उपलब्ध हों।

- 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को केन्द्र पर 13 दिन नाश्ते में 51 ग्राम हलवा तो 12 दिन 42 ग्राम उपमा मिलना है। बुधवार एवं शुक्रवार को मौसमी फल, लाई–चना, गुड़–चना इत्यादि मिले। मध्यान्ह में पका हुआ गरम खाना जैसे मूंग या अरहर की खिचड़ी, मीठा या नमकीन दलिया, जिसमें फल या सब्जी मिश्रित हो, खिलाई जाए। अति कुपोषित बच्चों को इसके अलावा प्रतिदिन 75 ग्राम टेक होम राशन (78 ग्राम हलवा या 70 ग्राम उपमा) मिलता है। गरम पोषाहार को अधिक स्वादिष्ट एवं रूचिकर बनाने की दृष्टि से वितरण की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को सौंपी है।

- गर्भवती एवं धात्री माताओं, स्कूल नहीं जाने वाली 11–15 वर्ष की किशोरियों तथा 15 से 18 वर्ष की सभी किशोरियों के लिए प्रतिदिन का टेक होम राशन (140 ग्राम हलवा या 130 ग्राम उपमा) है। 12 दिन हलवा तथा 13 दिन उपमा तय है।

2. गर्मी के मौसम (1 अप्रेल से 31 सितम्बर तक) में सवेरे 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सर्दी के मौसम (1 अक्टूबर से 31 मार्च तक) में सवेरे 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोज आंगनवाड़ी खुले। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (महिने में निर्धारित एक गुरूवार) पर गर्मी में सवेरे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और सर्दी में सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आंगनवाड़ी खुली रहेगी।

3. हर दिन 3 घण्टे पूर्व प्राथमिक शिक्षा संचालित होनी है। छोटे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से जुड़ने की तैयारी होती है और उस समय उनके बड़े भाई–बहन, जिन्हें घर में रह कर उनका ध्यान रखना होता था, विद्यालय जा सकते हैं। शाला पूर्व शिक्षा बच्चों की जीवन पर्यन्त सीखने और विकास के लिए नींव बनती है।

4. 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी है।

5. आंगनवाड़ी कार्यकर्मी को छोटे बच्चों में विकलांगता की पहचान करके उन्हें स्वास्थ्य अधिकारी को रेफर करना है।

6. सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा सं. 196/2001 दिनांक 13 दिसम्बर 2006 के अनुसार गांव/मौहल्ला तथा शहरी कच्ची बस्ती में 6 वर्ष तक की उम्र के 40 बच्चे होने की स्थिति में लोग आंगनवाड़ी की मांग कर सकते हैं। मांग से 3 महिने में आंगनवाड़ी मंजूर होनी चाहिए। मांग पंचायत समिति के बाल विकास परियोजना अधिकारी को पेश की जाती है। उसकी प्रतियां जिला बाल विकास अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट तथा सर्वोच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट को प्रेषित होती हैं। मांग के साथ 40 बच्चों की सूची, उनके माता–पिता के नाम, जाति एवं उम्र की सूचना जोड़ी जाती है।

5 अगस्त, 2013 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या F. No. 1-6/2013-ECCE से हर महिने निश्चित तारीख पर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बाल देखभाल एवं शिक्षा दिवस मनाने की सूचना दी गई है। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्मी और बच्चों के अभिभावक तथा समाज के बीच वार्तालाप का माध्यम होगा।

16. सबला योजना

किशोरी बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण (सबला) योजना शुरू की गई है। यह देश के 200 और राजस्थान के 10 जिलों में संचालित है। अन्य जिलों में किशोरी शक्ति योजना लागू है। यहां समाहित जानकारी का मुख्य आधार सबला योजना की मार्गदर्शिका 2010 है। सेवाएं आंगनवाड़ी से उपलब्ध होती हैं।

1. विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियां सप्ताह में तीन दिन, दो या तीन घण्टे के लिए और विद्यालय जाने वाली किशोरियां कम से कम महिने में दो बार आंगनवाड़ी केन्द्र पर मिलें और उन्हें जीवन कौशल, शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक–कानूनी इत्यादि जरूरी जानकारी दी जाए। छुट्टियों में विद्यालय जाने वाली लड़कियां भी प्रत्येक सप्ताह आंगनवाड़ी जाएं। शिक्षण गतिविधियां सप्ताह में 5 से 6 घण्टे की होनी चाहिए। किशोरियों के प्रशिक्षण के लिए हर वर्ष केन्द्र पर किट उपलब्ध करवाया जाता है।

2. आंगनवाड़ी स्तर पर विद्यालय नहीं जाने वाली 15 से 25 किशोरियों का समूह गठित किया जाएगा। यदि 7 से कम लड़कियां हैं तो समूह नहीं बनेगा। समूह के सदस्य मिलकर एक वर्ष के लिए 3 नेता चुनेंगे – एक सखी और दो सहेली। सखी समकक्ष निगरानीकर्मी का कार्य करेंगी। ये तीनों आंगनवाड़ी के सभी कार्यक्रमों में जुड़ती हैं।

3. हर तीसरे महिने केन्द्र पर किशोरी दिवस मनाया जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्मी, स्वास्थ्य अधिकारी, ए. एन. एम, आशा, किशोरियों व उनके माता–पिता को केन्द्र पर आमंत्रित करेंगे। किशोरी दिवस पर निम्नांकित सेवाएं उपलब्ध होती हैं :

- प्रत्येक किशोरी की सामान्य स्वास्थ्य जांच की जाती है – लम्बाई, वजन, बॉडी मास इण्डेक्स। ये जानकारियां किशोरी कार्ड में भरी जाएंगी। विद्यालय में नामांकन व छोड़ने की तारीख, विवाह इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण दिवस भी लिखे जाएंगे।

- यदि बॉडी मास इण्डेक्स 18.5 से कम है तो वह कुपोषण दर्शाता है, माहवारी समस्या हो, खील–मुहासे, पेट में कीड़ा इत्यादि की स्थिति में स्पेशल स्वास्थ्य सम्भाल के लिए रैफर किया जाता है।

- किशोरी दिवस पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषक खाना बनाने के तरीकों का प्रदर्शन, एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए किशोरियों व उनके माता–पिता से चर्चा होती है।

4. 11 से 14 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली और 14 से 18 वर्ष की सभी किशोरियों को हलवा और उपमा का टेक होम राशन मिलना है।

5. 11 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरियों को आयरन–फोलिक एसिड (विद्यालय नहीं जा रही किशोरियां सप्ताह में दो बार आई. एफ. ए. टेबलेट आंगनवाड़ी पर ही लें तथा इसकी जानकारी किशोरी कार्ड में दर्ज हो) स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल सम्भाल पर सुझाव तथा जीवन कौशल व सरकारी सेवाओं के उपयोग का कौशल प्रशिक्षण मिलना है।

6. 16 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम में रोजगार आधारित प्रशिक्षण मिले।

17. सक्षम योजना

इस योजना का संचालन भी आंगनवाड़ी केन्द्रों से होता है। इसका उद्देश्य है 11 से 18 वर्ष के सभी किशोरों को उचित जानकारी देना, जिससे वे जेन्डर संवेदनशील और जवाबदार नागरिक बन सकें। यह पाइलट आधार पर सात राज्यों के 20 जिलों में अमल है। इनमें राजस्थान के बाड़मेर, जयपुर और झालावाड़ जिले शामिल हैं।

जेन्डर संवेदनशीलता पर अभिमुखीकरण, महिला हिंसा के खिलाफ 16–18 वर्ष के किशोर से अहिंसा मेसेन्जर पसंद कर उन्हें प्रशिक्षण देकर सक्षम करना, आई. एफ. ए की गोलियाँ, हर तीन महीने में स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सेक्स की जानकारी उपलब्ध है। पंचायत स्तर पर फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट किट इत्यादि खेल सामग्री उपलब्ध होगी।

16 वर्ष से अधिक आयु के किशोर को रोजगार संबंधित स्किल शिक्षा उपलब्ध होगी। 15–25 किशोरों के समूह बनेंगे, जिनमें एक किशोर मित्र और दो साथी होंगे। विद्यालय नहीं जाने वाले किशोर आंगनवाड़ी 2 से 3 घंटे के सत्र के लिए हफ्ते में दो बार एकत्रित होंगे। इसके लिए हर केन्द्र पर प्रशिक्षण किट उपलब्ध होगा।

18. जननी सुरक्षा योजना

सुरक्षित मातृत्व के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना लागू की गई है। राशि सहायता के साथ प्रसव के दौरान तथा बाद में प्रसूता की देखभाल को जोड़ा गया है। यहाँ दी गई जानकारी का मुख्य स्रोत जननी सुरक्षा योजना मार्गदर्शिका 2006 है।

1. सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थान में प्रसव करवाने वाली हर महिला को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में माता को रू. 1,400 और आशा को रू. 600 प्रोत्साहन के रूप में मिलते हैं। राशि महिला के नाम के चेक से मिलती है। बैंक में खाते के लिए 18 वर्ष की आयु व अन्य दस्तावेज जरूरी होते हैं जिनकी व्यवस्था पहले से करें।

2. गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण, कम से कम 3 स्वास्थ्य जांच, टिटनेस टॉक्साइड के टीके, आई. एफ. ए की गोलियां लेने में आशा सहयोगिनी का सहयोग रहता है। प्रसव के समय पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य संस्था में आशा सहयोगिनी साथ जाती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने तक वह साथ रहती है।

3. आशा सहयोगिनी शिशु जन्म के एक घण्टे में स्तन पान की सलाह देती है व 14 सप्ताह में नवजात शिशु का टीकाकरण हो, यह ध्यान रखती है। प्रसव के बाद 7 दिन में आशा सहयोगिनी प्रसूता के स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए उसके घर जाती है।

जननी सुरक्षा योजना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर, 2012 से 24 घण्टे निःशुल्क परिवहन व्यवस्था जननी एक्सप्रेस के नाम से शुरू हुई है। इसके टोल फ्री नम्बर 104 है और यह वहाँ उपलब्ध है जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस नहीं है।

4. माता या उनके परिवार को आवेदन नहीं करना पड़ता है। सारी प्रक्रियाएँ अस्पताल के अधिकारी द्वारा की जाती हैं। मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थान में प्रसव करवाने की स्थिति में बीपीएल या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रमाण देना होता है। आशा सहयोगिनी/ए. एन. एम या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रेफरल स्लिप तथा मातृ व शिशु स्वास्थ्य कार्ड साथ में लगाना होता है। प्राइवेट संस्थान में प्रसव होने की स्थिति में आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है।

19. जननी स्वास्थ्य प्रोत्साहन देशी घी योजना

योजना का ध्येय संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, धात्री की ताकत संबंधित व माता के द्वारा नवजात शिशु की विटामिन ए की जरूरत को पूरा करना है।

बीपीएल, स्टेट बीपीएल या अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित परिवार की महिला को पहला प्रसव सरकारी अस्पताल में होने पर 5 लीटर देशी घी दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के चेक के साथ घी का कूपन मिलता है जिसे नजदीकी डेयरी बूथ से लेना होता है। प्रसव के बाद 24 घण्टे अस्पताल में रहना अनिवार्य है।

बीपीएल कार्ड की प्रति लगानी है। ए.एन.एम प्रमाणित करती है कि पहला बच्चा है, प्रसव पूर्व टीटी का टीका लगा है और स्वास्थ्य जाँच हुई है।

20. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

गर्भवती महिला और उसके परिवार का परिवहन व उपचार पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्था का उपयोग करने वाली प्रसूताओं तथा उनके नवजात शिशु को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ निहित जानकारी मुख्यतः जून 2011 की कार्यक्रम मार्गदर्शिका और 15 जुलाई, 2011 का निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं के पत्र क्रमांक एनआरएचएम/आरसीएच–।।/554/11/2254 से ली गई है।

1. प्रसूताओं को उनके घर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, दूसरी जगह रेफर करने की जरूरत पड़े तो वहां तक तथा प्रसव के 48 घण्टे बाद घर पहुंचाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य या सीजेरियन हर प्रकार का प्रसव निःशुल्क होगा।

2. प्रसव सम्बन्धित दवाईयां, रक्त, पेशाब, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि जांच, खून की जरूरत हो तो वह भी निःशुल्क होंगे। सामान्य प्रसव में 2 दिन और सीजेरियन प्रसव में 7 दिन, प्रसूता को निःशुल्क आहार मिलेगा।

3. प्रसव पूर्व से प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक आयरन–फोलिक एसिड सहित सभी दवाईयां तथा जांच उपलब्ध होगी। यदि जन्म के 30 दिन में, शिशु बीमार होता है तो उसे भी निःशुल्क परिवहन, जांच, दवाईयां और उपचार मिलेगा।

4. सभी जिला तथा उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लाभ की पूरी जानकारी तथा जरूरी दवाईयों की सूची प्रदर्शित होगी। सप्ताह में दो दिन एक–एक घण्टे का समय शिकायत निवारण के लिए रखा जाएगा।

21. कलेवा योजना

प्रसूति के पश्चात समुचित देखभाल हेतु अस्पताल में रहना जरूरी होता है। अस्पताल में ठहराव को प्रोत्साहन देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव होने पर प्रसूता के गरम भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। यह जानकारी निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पं. क सेवाएँ, राजस्थान सरकार का 15 जुलाई, 2011 का पत्र क्रमांक एनआरएचएम/आरसीएच–।।/554/11/2254 में निहित है। सभी गर्भवती महिलाओं को सामान्य प्रसव के बाद 2 दिन तक एवं सिजेरियन ऑपरेशन होने की दशा में 7 दिन तक निःशुल्क गरम भोजन मिलना है।

22. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

19 वर्ष की आयु से अधिक गर्भवती या धात्री को कुछ शर्तें पूरी करने पर रू. 3,000 की दो किश्तों में रू. 6,000 की प्रोत्साहन राशि, उनके दो बच्चों तक उपलब्ध होती है। पहली किश्त गर्भधारण के सातवें महीने में मिलती है यदि गर्भवती ने चार महीने के अन्दर आंगनवाड़ी या उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पंजीयन करवाया हो, कम से कम दो स्वास्थ्य जाँच हुई हों, आई. एफ. ए. की गोलियाँ ली हों और टीटी के टीके लगाए हों। शर्तें पूरी होने की जाँच आंगनवाड़ी कार्यकर्मी द्वारा सत्यापित माता एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (ममता कार्ड) से होती है। दूसरी किश्त प्रसव के 6 महीने बाद दी जाती है यदि बच्चे का जन्म पंजीयन हुआ हो, बीसीजी, डीपीटी ।, ।।, ।।। और तीनों ओपीवी के टीके लगे हों, तीन बार विकास की निगरानी हुई है और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान करवाया है। माता एवं शिशु सुरक्षा कार्ड के साथ माता इस जानकारी को खुद सत्यापित करती है।

23. मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना

सरकारी अस्पताल में बच्ची का जन्म होने पर अस्पताल से छुट्टी मिलने पर माता को रू. 2,100 मिलते हैं। यह राशि चैक से मिलती है। बच्ची के पहले जन्म दिवस पर सम्पूर्ण टीकाकरण होने की स्थिति में माता को रू. 2,100 पुनः मिलते हैं एवं बच्ची को 5 वर्ष की उम्र के बाद स्कूल में दाखिला करवाने पर माता को रू. 3,100 मिलेंगे। सभी राशियां जननी सुरक्षा योजना में देय 1,400 रू. से अतिरिक्त हैं।

आवेदन के साथ प्रसूता के अस्पताल में भर्ती होने के कागजात के अलावा बच्ची के बारे में जानकारी दी जाती है।

24. राष्ट्रीय टीकाकरण शिड्यूल

गर्भवती

टी टी 1	–	गर्भधारण के प्रारंभिक समय में
टी टी 2	–	टी टी 1 के 4 हफ्ते बाद
टी टी बूस्टर	–	पिछले तीन साल में 2 टी टी के टीके लगे हों तो

शिशु

बीसीजी	–	जन्म पर या एक वर्ष के अन्दर जितना जल्दी हो
हेपाटिटिस बी	–	जन्म के 24 घण्टे के अन्दर
ओपीवी 0	–	जन्म पर या 15 दिन के अन्दर जितना जल्दी हो
ओपीवी 1, 2, 3	–	6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते
पेन्टावैलेन्ट 1, 2, 3	–	6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते
मीजल्स	–	1 से 12 महीने में; यदि इस दौरान न लगे तो 5 वर्ष की आयु तक
विटामिन ए	–	9 महीने पर; मीजल्स टीके के साथ

बालक

डीपीटी बूस्टर	–	16 – 24 महीने
ओपीवी बूस्टर	–	16 – 24 महीने
मीजल्स (दूसरा डोज)	–	16 – 24 महीने
विटामिन ए	–	16 महीने पर, फिर 5 वर्ष की आयु तक हर 6 महीने एक डोज
डीपीटी बूस्टर	–	5 – 6 वर्ष
टीटी	–	10 वर्ष तथा 16 वर्ष

25. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष

सभी सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त ओपीडी या भर्ती होकर उपचार, दवाईयाँ, जाँच व कृत्रिम ओरगन का लाभ ले सकते हैं। खर्च की सीमा नहीं बाँधी गई है। बीपीएल, राज्य बीपीएल, आस्था कार्ड धारक, एचआईवी एड्स पीड़ित, बुजुर्ग, विकलांग और विधवा पेंशन धारक, अन्त्योदय अन्न योजना लाभार्थी, अनाथालय के रहवासी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित), विभाग द्वारा अनुमोदित विद्यालयों में पढ़ रहे शारीरिक या मानसिक विकलांग बालक एवं नारी निकेतनों में रह रही महिलाएँ लाभ की हकदार हैं। थालीसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज भी हकदार बनाए गए हैं।

26. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

इसका उद्देश्य उपचार में होने वाले दवाईयों पर मरीज व उसके परिवार के खर्च को घटाना है। जरूरी दवाईयाँ व सुई, एक बार उपयोग वाली सीरिंज, खून चढ़ाने का किट, सूचर इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध होंगे। दवाई वितरण केन्द्र ओ. पी. डी. के समय खुला रहेगा और अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 24 घण्टे व्यवस्था होगी। ये सुविधाएँ सभी मरीजों व मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थी के लिए हैं।

27. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष

यदि परिवार की वार्षिक आय रूपये एक लाख से कम है, हृदय रोग, गुर्दा रोग, कैंसर जैसी गम्भीर व लम्बी बीमारी में चलने वाले उपचार के लिए उपचार खर्च का 40 प्रतिशत एक मुश्त सहायता दी जाती है। हृदय का एक वॉल्व बदलने पर अधिकतम रू. 30,000, बाईपास सर्जरी या दोनों वॉल्व बदलने पर अधिकतम रू. 50,000, किडनी ट्रान्सप्लांट पर अधिकतम रू. 50,000 व कैंसर उपचार में अधिकतम रू. 50,000 देय है। जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन किया जाता है। रोगोपचार से पहले आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय का मूल उद्घोषणापत्र (राजस्व विभाग से जारी व निर्धारित प्रपत्र में), अनुमानित चिकित्सा व्यय का चिकित्सक द्वारा प्रमाणित ब्यौरा लगाना चाहिए जिस पर उपचार अवधि/ऑपरेशन की दिनांक व संबंधित चिकित्सालय की स्पष्ट मोहर अंकित हो तथा राशन कार्ड की फोटो प्रति भी साथ में लगाई जाएगी।

28. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति व उसके परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देती है। परिवार के पाँच सदस्य योजना में कवर होते हैं। लाभ योग्य परिवार को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने पर योजना के तहत एक वर्ष में रू. 30,000 तक की मेडिकल सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। लाभार्थी को रू. 30 पंजीकरण के लिए देने होते हैं जबकि रू. 750 प्रति परिवार प्रति वर्ष सरकार द्वारा जमा करवाए जाते है। पंजीकरण राशि स्मार्ट कार्ड मिले तब ही देनी है। अस्पताल में भर्ती से पहले एक दिन और बाद के 5 दिन के कुछ खर्च वहन हो सकते हैं। एक बार में रू. 100 की दर से रू. 1000 तक यातायात पर खर्च हो सकते हैं। सेवाएं सिर्फ अनुमोदित अस्पताल में मिलेंगी। इनकी सूची पंजीकरण के समय लाभार्थी को मिलती है। फिर भी इलाज से पहले एक बार पुष्टि अवश्य करें।

III. प्राथमिक शिक्षा की योजनाएं

प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच न होना, राष्ट्र निर्माण पर घातक असर करता है। जो बच्चे अपने प्रारंभिक वर्षों में विद्यालय नहीं जाते, उनके बाल मजदूर बनने, अवैध गतिविधियों में सम्मिलित होने व कई प्रकार के हानिकारक नशे की लत लगने की ज्यादा संभावना होती है। विद्यालय में सिर्फ पढ़ना, लिखना और गणित नहीं सिखाते बल्कि सामाजिक मूल्यों का आधार भी देते हैं। इन्हीं सृजनात्मक वर्षों में जवाबदार नागरिकता के बीज बोए जाते हैं।

आजकल गरीब माता–पिता भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय, जहाँ मुफ्त शिक्षा, किताबें व युनीफार्म उपलब्ध हैं, में न भेजकर ज्यादा पैसे खर्च कर प्राईवेट शाला में भेजना चाहते हैं। इससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति पर और गहरी चोट लगती है। वही पैसा परिवार की खाद्य सुरक्षा, पोषण, आवास, पानी और स्वच्छता व्यवस्था पर खर्च हो सकता है, जो अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं। सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा तभी संभव हो पाएगी जब सरकारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर उस पर लोगों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा दोनों ऐसी निःशुल्क सेवाएं हैं, जिनके प्रबन्धन में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त पोषाहार व नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था है जो कुपोषण के मुद्दे पर कारगर हो सकती है। साथ खाना बच्चों को नन्हीं उम्र से सामाजिक व जेन्डर समानता का पाठ पढ़ाता है। सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा के प्रावधान, विकलांग बच्चों को स्वाभिमान के साथ शिक्षा पाने के अवसर देते हैं। हर बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए गाँव के हर नागरिक, शाला प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है।

29. सर्व शिक्षा अभियान

6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को उनकी नजदीकी विद्यालय में अनिवार्य व निःशुल्क गुणवत्तायुक्त शिक्षा का अधिकार है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा तक हर नागरिक की पहुंच बनाना है। बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के प्रावधान सम्मिलित हैं। यहाँ दी गई जानकारी में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के प्रावधान शामिल है।

1. 6 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा जो किसी कारण से स्कूल से वंचित रह गया है, उसे उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा में बिठाया जाएगा तथा उसके समकक्ष की जानकारी के लिए बच्चे को अतिरिक्त प्रशिक्षण मिलेगा। इस दौरान बच्चे की उम्र 14 साल से अधिक हो जाती है तो भी उसे शिक्षा मुफ्त में ही दी जाएगी।

2. वर्ष में किसी भी समय बच्चे का विद्यालय में नामांकन हो सकता है। विद्यालय में बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से 6 महीने के पश्चात् कोई विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो वे विशेष प्रशिक्षण के पात्र होंगे। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र से किया जाएगा परन्तु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है। अस्पताल या ए.एन.एम. का रजिस्टर अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख या माता–पिता या संरक्षक द्वारा बच्चों की आयु की घोषणा का शपथपत्र मान्य है।

3. हर विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति है। इसमें विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता, पिता या संरक्षक, विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक अथ्यापक या प्रबोधक और विद्यालय के परिसीमन क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक पंचायती राज संस्थान सदस्य शामिल है। 25 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति से प्रत्येक 6 मास में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक होती है। इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अभिभावक में से होते हैं एवं प्रधानाध्यापक सदस्य – सचिव। प्रत्येक दो वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन होना है।

   शाला प्रबंधन समिति – (1) शाला के काम की निगरानी करती है (2) विद्यालय विकास के लिए आयोजन बनाती है, जो तीन वर्ष के लिए होती है। यह जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को प्रस्तुत किया जाता है। (3) अनुदान के उपयोग की निगरानी करती है।

   दिन प्रतिदिन के विद्यालय प्रबंधन के लिए 15 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति होती है। इसमें 75 प्रतिशत सदस्य विद्यार्थियों के माता–पिता या अभिभावक (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों सहित) होते हैं। शेष 25 प्रतिशत सदस्यों में पंचायत प्रतिनिधि गण, शिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षाविद् होते हैं। कुल सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, कार्यकारिणी समिति में भी यह भूमिका निभाते हैं। एक तिहाई सदस्यों की गणपूर्ति के साथ हर महीने बैठक होती है।

4. शिक्षक को अपनी पोस्टिंग के विद्यालय के अतिरिक्त किसी और विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा (डेप्यूट किया जाएगा) और जनगणना, आपदा रिलीफ या चुनाव के अलावा किसी अन्य अशैक्षणिक गतिविधि में नहीं लगाया जाएगा। शिक्षकों के खाली पदों की संख्या सैंक्शन हुए पदों के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। (निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010, धारा 25(2), 26, 27)

5. विद्यालय के लिए उचित मानदण्ड

1–5 कक्षा में शिक्षकों की संख्या	60 विद्यार्थी तक 2 शिक्षक 61–90 विद्यार्थी तक 3 शिक्षक 91–120 विद्यार्थी तक 4 शिक्षक 121–200 विद्यार्थी तक 5 शिक्षक 150 से ज्यादा विद्यार्थी हैं तो 5 शिक्षक व एक हैड शिक्षक यदि 200 से ज्यादा विद्यार्थी हैं तो, हैडमास्टर को छोड़कर, प्रति शिक्षक 40 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होने चाहिए
6–8 कक्षा में शिक्षक संख्या	हर कक्षा के लिए अनिवार्य रूप से एक शिक्षक, इस प्रकार कि एक–एक शिक्षक विज्ञान व गणित, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा के लिए हो जाएँ हर 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक अवश्य हो नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 100 से ज्यादा है तो एक पूर्ण कालिक (फुल टाइम) हैडमास्टर होंगे
बिल्डिंग	हर शिक्षक के लिए एक क्लास रूम व एक हैडमास्टर का रूम बाधा रहित पहुँच छात्राओं के लिए अलग शौचालय सभी बच्चों के लिए सुरक्षित व उपयुक्त पानी की व्यवस्था मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रसोई घर खेल का मैदान, बाउन्ड्री वॉल या फेन्स
न्यूनतम कार्य दिवस	1–5 कक्षा के लिए 200 दिन 6–8 कक्षा के लिए 220 दिन
पुस्तकालय	हर विद्यालय में

6. कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 कि. मी. की पैदल दूरी में विद्यालय व कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 2 कि. मी. की सीमा में विद्यालय होना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ बालक–बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक व लेखन सामग्री मिलने का हक है। निःशक्तता से ग्रस्त बालक–बालिकाओं निःशुल्क विशेष शिक्षण और सहायक सामग्री का हकदार है। (नियम 4–1) राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को सुनिश्चित करना है किसी भी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म या लिंग संबंधित भेदभाव या दुर्व्यवहार न हो (नियम 4–3, 4)। सभी नामांकित बच्चों के नाम प्रत्येक विद्यालय की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होनी है। (नियम 5)

30. मध्याह्न भोजन योजना

कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निश्चित मीनू के अनुसार मध्याह्न में भोजन मिलता है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा भोजन और 6 से 8 कक्षा के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा भोजन की मात्रा निर्धारित है। सप्ताह में एक दिन फल और स्थानीय मांग के अनुसार भोजन दिया जा सकता है। हर स्कूल को बर्तन व गैस का चूल्हा खरीदने के लिए अधिकतम रूपए 5,000 दिए जाते हैं। 50 बच्चों पर एक रसोईये की व्यवस्था है, 150 तक बच्चों के लिए दो की तथा 150 से अधिक बच्चे होने पर तीन रसोईये रखे जाते हैं।

31. छात्रावास योजना

कक्षा 6 से 12 में पढ़ रहे बीपीएल, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, स्वच्छकार, घुमन्तू व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपए एक लाख तक है, वे छात्रावास योजना का लाभ उठा सकते हैं। अनुदानित छात्रावासों में भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, स्कूल यूनिफार्म, तेल, साबुन, बाल कटाई, चादर, तकिया, खोली, तौलिया, धुलाई, बिजली, पानी एवं समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि की सुविधा दी जाती है।

32. छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कक्षा 6 से 8 की छात्राओं को रू. 125 प्रति माह एवं 10 माह के लिए रू. 1,000, कक्षा 6 से 8 के छात्रों को रू. 75 प्रति माह एवं 10 माह के लिए रू. 750, कक्षा 9 से 10 की छात्राओं को रू. 120 प्रति माह एवं 12 माह के लिए रू. 1,440, कक्षा 9 से 10 के छात्रों को रू. 80 प्रति माह एवं 12 माह के लिए रू. 960, कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों को रू. 230 प्रति माह एवं 10 माह के लिए रू. 2,300 मिलते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 8 तक 10 माह के लिए छात्राओं को रू. 25 प्रति माह तथा छात्रों को रू. 15 प्रति माह मिलते हैं। अल्प संख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों एवं पारिवारिक आय के आधार पर चयनित छात्र–छात्राओं को कक्षा 3 से 8 तक रू. 100 प्रति माह 10 माह के लिए मिलते हैं।

33. निःशक्त छात्रवृत्ति योजना

कक्षा 1 से 4 तक रूपये 40 प्रति माह एवं कक्षा 5 से 8 में रूपये 50 प्रति माह की छात्रवृत्ति है। कक्षा 9 से पहले वर्ष में गैर आवासीय विद्यार्थियों के लिए रू. 150 प्रति माह तथा आवासीय विद्यार्थियों के लिए रू. 230 प्रति माह उपलब्ध है। नेत्रहीन विद्यार्थी को रूपये 100 प्रति माह वाचक भत्ता दिया जाता हैं। द्वितीय से तृतीय वर्ष में गैर आवासीय विद्यार्थियों के लिए रूपये 230 प्रति माह और आवासीय विद्यार्थियों के लिए रूपये 360 प्रति माह उपलब्ध है। नेत्रहीन विद्यार्थी को रूपये 150 प्रति माह वाचक भत्ता दिया जाता हैं।

मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे निःशक्त छात्र–छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय रूपये 1 लाख तक हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लाभार्थी हो सकते हैं। ये जरूरी है कि छात्र/छात्रा राजस्थान

के निवासी हों तथा पूर्व में किसी दूसरी प्रकार की छात्रवृत्ति या अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता उन्हें नहीं मिल रहा हो। न ही किसी स्वयं सेवी संस्था से उन्हें किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता मिल रहा हो। लाभार्थी पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो। सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन करना होगा।

34. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

10+2 एवं कॉलेज स्तरीय छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संरक्षक की समस्त श्रोतों से आय सीमा रूपये 2 लाख एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रूपये 1 लाख तक होगी।

विद्यार्थी किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में उत्तर मैट्रिक शिक्षा में नियमित पढ़ रहा हो अथवा कक्षा 10 के बाद मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो। स्कॉलरशिप राशि प्रति माह छात्रावासी अनु. जाति, अनु. जनजाति को रू. 380, अ. पि. व. को रू. 260 तथा गैर आवासीय अनु. जाति, अनु. जनजाति को रू. 230, अ. पि. व. को रू. 180 है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को ये दस्तावेज संलग्न करने हैं – जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, माता, पिता या अभिभावक की आय का नोटेरी अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सत्यापित घोषण पत्र, दसवीं की अंक तालिका या प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, पिछली सभी उत्तीर्ण की गई परीक्षाओं की अंक तालिका की सत्यापित प्रति, फीस की मूल रसीद, आवेदक का प्रमाणित फोटो, विद्यार्थी के बैंक खाते की पास बुक की फोटो प्रति, मूल निवास की सत्यापित प्रति। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बीपीएल प्रमाण पत्र की प्रति, निःशक्तता प्रमाण पत्र, विधवा, तलाकशुदा या परित्यकता का पुत्री या पुत्र होने का प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं।

35. आपकी बेटी योजना

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने की इस योजना में स्टेशनरी, पोषाक, जूते, मोजे, चिकित्सा सहायता व अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को रू. 1,100 तथा कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को रू. 1,500 वार्षिक दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ ऐसी छात्राएं ले सकती हैं जो बीपीएल परिवारों से हों या जिनके माता पिता दोनों अथवा किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो।

IV. समस्याओं के समाधान की व्यवस्थाएं

आम जन की शंकाओं या शिकायतों के समाधान के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं – कानून, नियम, आदेश जारी किए गए हैं, विभागीय हैल्प लाईन नम्बर, टोल फ्री नम्बर, ई मेल पर शिकायत के प्रावधान हैं। आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए यहां मुख्य व्यवस्थाओं की जानकारी संकलित की गई है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार कानून 2012

यह कानून हक देता है कि आम आदमी की समस्या के बारे में सुनवाई हो तथा नियत समय में उसका जवाब मिले। व्यक्ति अपनी समस्या की अर्जी दे सकते हैं, अर्जी देने पर उन्हें रसीद मिलेगी। यह रसीद इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने का काम करती है। रसीद में समस्या सुनने की तारीख, स्थान और सुनने वाले अधिकारी का पद नाम लिखा होगा। सुनवाई केन्द्र में कार्यरत कर्मचारी अर्जी लेने और रसीद देने से मना नहीं कर सकते।

ग्राम पंचायत पर सुनवाई की तारीखें ग्राम सचिवालय वाली (हर महिने की 5, 12, 20 तथा 27 तारीख) हैं। पंचायत समिति व जिला स्तर पर हर शुक्रवार को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच सुनवाई होगी। सुनवाई पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, पंचायत समिति स्तर पर उपखण्ड अधिकारी व जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होगी। शुक्रवार को अवकाश है तो सुनवाई अगले कार्य दिवस में होगी। यदि मांगी गई सुविधा या समाधान नियम के तहत नहीं मिलती है तो शिकायतकर्ता को अन्य विकल्पों के बारे में बताया जाएगा तथा उसके आवेदन पर की गई कार्यवाही के विषय में 7 दिन में लिखित में बताया जाएगा।

ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में बनाए गए लोक सुनवाई सहायता केन्द्र में जाकर किसी भी दिन 10 से 12 बजे तक एक अर्जी में अपनी समस्या को लिखकर दें। रसीद जरूर लें। रसीद में लिखी गई तारीख और स्थान पर ध्यान दें। सुनवाई की तारीख 15 दिन के अन्दर की ही होगी। रसीद में लिखे गए स्थान और तारीख के दिन सुनवाई के लिए 12 से 3 बजे के बीच जरूर पहुंचें। सुनवाई के समय अपनी समस्या को मजबूत करने वाले कागजात साथ लेकर जाएं और अधिकारी को पूरी सही–सही बात बताएं। सुनवाई नहीं होती है, नियत समय पर उसका जवाब नहीं मिला या जवाब से आप सन्तुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ 30 दिन के अन्दर अपील करें। उदाहरण के लिए यदि जमीन सम्बन्धी मामले हैं तो तहसीलदार को तथा अन्य मामलों (बिजली, पानी, नरेगा, पेन्शन आदि) पर सुनवाई नहीं होती है तो विकास अधिकारी को अपील करें। सुनवाई नहीं करने वाले या सुनवाई में कोताही बरतने वाले सम्बन्धित कार्मिकों के लिए कानून में रू. 500 से 5000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

लोक सेवा गारण्टी कानून, 2011

नागरिक द्वारा मांग करने पर निश्चित समय सीमा में सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार बाध्य है। समयावधि में सेवा नहीं मिलने की स्थिति में नागरिक उच्च अधिकारी को अपील कर सकते हैं। नियत समय सीमा में काम नहीं होने पर दोषी कार्मिक को रू. 500 से 5,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। काम में देरी

करने वाले दोषी कार्मिक को रू. 250 प्रति दिन की दर से अधिकतम रू. 5,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान सरकार ने इस कानून के तहत राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों सहित 23 विभागों की 153 प्रकार की सेवाओं के कार्यों को शामिल किया है। रोजमर्रा में काम में आने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी यहां सारणी में दी गई है।

प्रार्थी को एक प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन की स्वीकृति के रूप में रसीद दी जाएगी। रसीद की तारीख से आवेदन के दिनों की गणना होगी। एक बार काम नहीं होने पर प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। वे अपील के 21 दिन में निपटारा करेंगे। निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर दूसरी अपील की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने जमाबन्दी की नकल मांगी है तो उसे पटवारी को आवेदन देना होगा। उसे 3 दिनों में नकल दी जाएगी। ऐसा नहीं होने पर उसकी प्रथम अपील नायब तहसीलदार या तहसीलदार के यहां होगी। यहां से 21 दिन बाद उसकी दूसरी अपील उपखण्ड अधिकारी के पास जाएगी।

सेवा	प्रदान करने की अवधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
जमाबन्दी चौसाला खसरा	3 दिन	पटवारी तहसीलदार	– ना. तहसीलदार या ऑफिस कानूनगो	ना. तहसीलदार या तहसीलदार एसडीओ	एसडीओ या सहायक उपनिवेश जिला कलक्टर या उपनिवेश आयुक्त
नक्शा ट्रेस	3 दिन	पटवारी तहसीलदार	– ना. तहसीलदार या ऑफिस कानूनगो	ना. तहसीलदार या तहसीलदार एसडीओ	एसडीओ या सहायक उपनिवेश जिला कलक्टर या उपनिवेश आयुक्त
नामान्तरण (म्यूटेशन)	7 दिन	पटवारी	–	ना. तहसीलदार या तहसीलदार	एसडीओ या सहायक उपनिवेश
मूल निवास, जाति, हैसियत प्रमाण पत्र	5 दिन	ना. तहसीलदार या तहसीलदार	पटवारी, लिपिक या आईएलआर	एसडीओ	जिला कलक्टर

गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार	15 दिन	ना. तहसीलदार या तहसीलदार	पटवारी, ऑफिस कानूनगो या आईएलआर	एसडीओ	जिला कलक्टर
भूमि रूपान्तरण	30 दिन	तहसीलदार एसडीओ जिला कलक्टर	ऑफिस कानूनगो सम्बन्धित लिपिक अतिरिक्त जिला कलक्टर	एसडीओ जिला कलक्टर आयुक्त उपनिवेश सम्भागीय आयुक्त	जिला कलक्टर सम्भागीय आयुक्त उपायुक्त उपनिवेश प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव राजस्व
नये घरेलू कनेक्शन – डिमांड नोटिस जारी करना	आवेदन से 21 दिनों में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता विशेष	अधीक्षण अभियन्ता
कनेक्शन करना	डिमाण्ड जमा करने के बाद 45 दिनों में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
हैण्ड पम्प ठीक करवाना	3 दिन	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड स्तर पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
पानी के नए कनेक्शन	7 दिन	सहायक अभियन्ता	उपखण्ड स्तर पर पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशाषी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन जननी शिशु सुरक्षा योजना अन्तर्गत भुगतान राशि	90 दिन डिस्चार्ज के समय	विकास अधिकारी प्रभारी चिकित्सा संस्थान	ना. तहसीलदार या तहसीलदार नर्सिंग प्रभारी	जिला कलक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग निदेशक (प.क.)
विकलांगता प्रमाण पत्र (दिखने वाली विकलांगता)	उसी दिन	पीएचसी, सीएचसी के प्रभारी अधिकारी	स्टोर प्रभारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अति. निदेशक (अस्पताल प्रशा.)
विकलांगता प्रमाण पत्र (अनेक प्रकार की विकलांगता एक साथ)	3 सप्ताह	प्रभारी बोर्ड	स्टोर प्रभारी	सीएमएचओ /प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	अति. निदेशक (अस्पताल प्रशा.)
नये राशन कार्ड बनवाना	7 दिन	विकास अधिकारी	–	जिला कलक्टर	प्रमुख शासन सचिव खाद्य विभाग
आवासीय भूमि का पट्टा जारी करना	30 दिन	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पूर्व में जारी पट्टे की नकल	15 दिन	सरपंच	ग्राम सेवक	विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सम्पर्क समाधान

आम जन की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए त्रिस्तरीय सुनवाई बैठकों की व्यवस्था है। यह व्यवस्था प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी पत्रांक प.26(1)प्रसु/सम./अनु–1/2014 दिनांक 17 जनवरी, 2014 के पत्र के साथ सलंग्न सम्पर्क समाधान की मार्गदर्शिका में दी गई है। प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार को उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय गुरूवार को जिला कलक्टर एवं अन्तिम गुरूवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठकें रखी जाएंगी। इन बैठकों में सवेरे 10 से 12 बजे तक शिकायत के मामलों का पंजीयन किया जाएगा और पहले ही दर्ज मामलों को भी इस दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच सम्बन्धित अधिकारी शिकायत, परिवाद या समस्या के बारे में सम्पर्क पोर्टल पर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दर्ज प्रकरणों के समाधान से असन्तुष्ट व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो समय पर अपनी समस्या का समाधान नहीं पा सके हों, की सभी विभागीय अधिकारियों के सामने सुनवाई की जाएगी।

सुगम एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली

इस व्यवस्था के तहत सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित की शिकायत का समाधान अधिकतम 15 दिनों में होने की व्यवस्था है। शिकायत टेलिफोन नम्बर 0141–2227549 पर फोन करके लिखवाई जा सकती है। शिकायत पंजीकरण नम्बर का मैसेज आवेदक के मोबाइल पर भिजवाया जाता है। शिकायत www.sugamrpg.rj या www.sugamrpg.nic.in पर भी दर्ज करवाई जा सकती है।

क्रम	समस्या का प्रकार	टोल फ्री / हेल्पलाईन नम्बर
1.	पीने के पानी सम्बन्धित	18001806088
2.	राशन सामग्री मिलने से सम्बन्धित	18001806030
3.	मनरेगा सम्बन्धित	18001806606
4.	बिजली कनेक्शन सम्बन्धित	18001806045
5.	खेती से सम्बन्धित	18001801551
6.	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित	18001806025
7.	लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011	18001806127
8.	चिकित्सा हेतु वाहन सुविधा के लिए	108
9.	प्रसूति हेतु वाहन सुविधा के लिए	104
10.	बच्चों से सम्बन्धित	1098
11.	मिड डे मील से सम्बन्धित	0141–2221694
12.	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सम्बन्धित	0141–2226618
13.	महिला से सम्बन्धित	011–23237166 0141–2779001–2
14.	सूचना का अधिकार के तहत सूचनाएं नहीं मिलने पर	0141–2742406

बाड़मेर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर

क्रम	अधिकारी का पद	कार्यालय	सम्पर्क नम्बर
1.	जिला कलक्टर	कलक्टर कार्यालय	02982–220003
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर	कलक्टर कार्यालय	9828251345 एवं 02982–220007
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला परिषद	9461069126 एवं 02982–220292
4.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला परिषद	02982–220053
5.	उप खण्ड अधिकारी	उपखण्ड कार्यालय गुड़ा मालानी	8560020480 एवं 02987–221837
6.	उप खण्ड अधिकारी	उपखण्ड कार्यालय बालोतरा	9414356152 एवं 02988–220005
7.	विकास अधिकारी	पंचायत समिति सिणधरी	02984–284444 एवं 284555
8.	विकास अधिकारी	पंचायत समिति बालोतरा	02988–220007
9.	तहसीलदार	तहसील, सिणधरी	02984–284655
10.	तहसीलदार	तहसील, पचपदरा	02988–281241
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर	02982–230462 एवं 220204

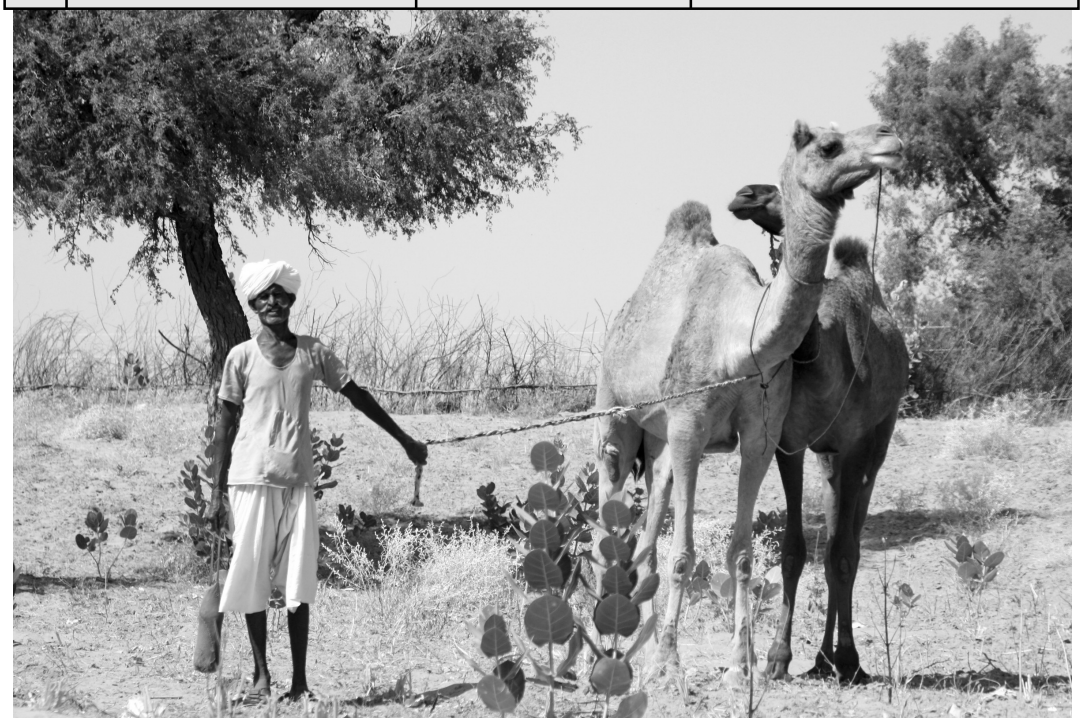

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन्पुरम् योजना, लेहरिया रिसोर्ट के पास,
पाल-चौपासनी बाई पास लिंक रोड़,
जोधपुर (राजस्थान) - 342 014
फोन नं. 0291-3204618, e-mail: jodhpur_unnati@unnati.org

गुजरात प्रोग्राम कार्यालय

जी-1/200, आजाद सोसायटी,
अहमदाबाद (गुजरात) - 380 015
फोन नं. 079-26746145, 26733296,
e-mail - psu_unnati@unnati.org

वेबसाईट - www.unnati.org

सूचना सन्दर्भ केन्द्र, बालोतरा

रामदेव कोलोनी, नये बस स्टैण्ड के पास,
बालोतरा, जिला बाड़मेर (राज.)

सूचना सन्दर्भ केन्द्र, सिणधरी

प्राग मठ के पीछे, बस स्टैण्ड के पास,
सिणधरी, जिला बाड़मेर (राज.)